भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 309

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रतिबंधित ई-सिगरेट का ई-कॉमर्स विनियमन

309. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बावजूद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ई-सिगरेट और वेपिंग उत्पादों की निरंतर ऑनलाइन उपलब्धता और बिक्री का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने मामलों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए गए हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या वेप्स और ई-सिगरेट जैसे प्रतिबंधित उत्पादों को दर्ज करने और इनकी बिक्री को रोकने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कोई दिशानिर्देश, परिपत्र या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्त प्रवर्तन या बढ़े हुए दंड वृद्धि पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम (पीईसीए) को अधिनियमित किया, जो युवाओं को इनके हानिकारक प्रभावों और लत की संभावना से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और संबंधित उपकरणों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 और सिगरेट तथा अन्य उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के

लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका उपयोग सीओटीपीए, 2003 और पीईसीए, 2019 के तहत निषिद्ध पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री, प्रचार, ई-कॉमर्स वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तंबाकू उत्पादों और ई-सिगरेट के विज्ञापन संबंधी किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। एक बार उल्लंघन की सूचना मिलने पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के समन्वय से संबंधित मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म को टेक-डाउन/हटाने का नोटिस जारी करके, उक्त गैर कानूनी सूचना को होस्टिंग अथवा नियंत्रित करके उचित कार्रवाई की जाती है। एमओएचएफडब्ल्यू तंबाकू नियंत्रण कानूनों के ऑनलाइन उल्लंघन के किसी प्रकार के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करता है।

(ग) और (घ): लोक स्वास्थ्य रक्षा राज्य का विषय होने के कारण, भारत में तंबाकू नियंत्रण कानूनों को लागू करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विशेषाधिकार है। एमओएचएफडब्ल्यू ने समय-समय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इस प्रकार के उपकरणों तथा इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में एडवाइज़रीज़ जारी की हैं, और उन्हें पीईसीए, 2019 के साथ-साथ सीओटीपीए, 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों (https://ntcp.mohfw.gov.in/Circular_Advisory) के बारे में अवगत कराया है।

इन एडवाइज़रीज़ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ई-कॉमर्स साइट्स/ऐप्स पर पीईसीए, 2019 को सख्ती से लागू करने के बारे में स्पष्ट निर्देश शामिल हैं।

*****